

संचालनालय लोक शिक्षण  
मध्यप्रदेश

गौतम नगर, भोपाल

क्रमांक/बजट (ए)/03/चिकित्सा व्यय प्रति./2018-19/105

भोपाल, दिनांक 16-06-2018

प्रति,

जिला शिक्षा अधिकारी,  
जिला सागर, खंडवा, रतलाम,  
म.प्र.।

विषय :- चिकित्सा व्यय प्रातिपूर्ति मद 1500-11-009 में आबंटन स्वीकृति के संबंध में ।

—00—

वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु चिकित्सा व्यय प्रातिपूर्ति मद योजना 1500-11-009 अंतर्गत निम्नानुसार चिकित्सा प्रातिपूर्ति के प्रकरण में निम्नानुसार व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

बजट शीर्ष/मांग संख्या	आवेदक का नाम, पदनाम एवं पदस्थापना	डीडीओ कोड क्रमांक एवं डीडीओ का नाम	स्वीकृत राशि
(1)	(2)	(3)	(4)
27 स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा) 2202 सामान्य शिक्षा 01 प्रारंभिक शिक्षा 001 निदेशन और प्रशासन 1500 जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की स्थापना 8888 - V -- 11 -- 009 वेतन भत्ते चिकित्सा प्रातिपूर्ति	1. श्री रोमित जैन, सहायक ग्रेड-3, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला सागर। 2. श्री दिवाकर उपाध्याय, लेखापाल कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला खंडवा। 3. श्री प्रमोद वरानिया, सहायक ग्रेड-2, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला रतलाम।	जिला शिक्षा अधिकारी, जिला सागर। 3302003002 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला खंडवा। 2102003052 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला रतलाम। 3102003001	97,000 1,00,371 97,000
(अक्षरी राशि रु. दो लाख चौरान्चे हजार तीन सौ इतहत्तर मात्र)			2,94,371

उपरोक्त स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन स्वीकृत की जाती है :-

- मांग पत्रों में संलग्न किये अभिलेखों की मूल प्रति से मिलान उपरान्त राशि आहरण की कार्यवाही की जावेगी।
- म.प्र. सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम-1958 के तद्विषयक प्रावधान एवं तत्सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का पालन सुनिश्चित करें।
- यदि संबन्धित को चिकित्सा अग्रिम स्वीकृत किया गया है तो समायोजन कर भुगतान किया जावे।
- राशि जिस अधिकारी/कर्मचारी हेतु स्वीकृत की जा रही है, उसका भुगतान उसी अधिकारी/कर्मचारी को किया जायेगा।
- आवंटित राशि का आहरण अविलम्ब किया जावे।
- मांग की गई राशि संबंधित कार्यालय की अनुशंसा के आधार पर जारी की जा रही है। यदि त्रुटिपूर्ण/नियम विरुद्ध भुगतान होता है, तो इसके लिए संबंधित कार्यालय पूर्णरूप से उत्तरदायी होगा।

स्वीकृत राशि का व्यय दिनांक 31 मार्च 2019 तक भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें। संबंधित व्यय का विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र इस कार्यालय को प्रेषित करना अनिवार्य है। यदि किसी भी समय यह प्रतीत होता है कि उक्त राशि या उसके किसी अंश का व्यय दिनांक 31 मार्च 2019 के पूर्व किया जाना संभव नहीं है, तो उसे तत्काल समर्पित किया जाना सुनिश्चित करें, जिससे कि उक्त राशि का उपयोग विभाग द्वारा किया जा सके।


"आयुक्त द्वारा स्वीकृत"

(संजय कुमार)

संयुक्त संचालक (वित्त)  
लोक शिक्षण म.प्र.

पृष्ठा. क्रमांक / बजट (ए) / 03 / चिकि.व्यय.प्रति. / 19/06/18 भोपाल, दिनांक 14.06.2018  
प्रतिलिपि :-

1. प्रधान महालेखाकार, ग्वालियर म.प्र. ।
2. जिला कोषालय अधिकारी- सागर, खंडवा एवं रतलाम म.प्र. ।
3. सहायक संचालक (बजट) स्थानीय, लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र. ।
4. संबंधित कर्मचारियों की की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

  
संयुक्त संचालक (वित्त)

लोक शिक्षण म.प्र.

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश  
गौतम नगर, भोपाल

क्रमांक/बजट(बी)/19/4396/2018-19/114  
प्रति,

भोपाल, दिनांक:- 19-6-2018

विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी,  
इंदौर।

विषय:- चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति मद 4396-11-009 में आवंटन स्वीकृति के संबंध में।

-----00-----

वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति मद योजना 4396-11-009 अंतर्गत चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के प्रकरण में निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

बजट शीर्ष / मांग संख्या	आवेदक का नाम, पदनाम एवं पदस्थापना	डीडीओ कोड क्रमांक एवं डीडीओ के नाम	स्वीकृत राशि
27 शिक्षा (प्रा. शिक्षा) 2202 सामान्य शिक्षा 01 प्रारंभिक शिक्षा 101 राजकीय प्रा. वि. 4396 सरकारी प्रा. विद्यालय 11 वेतन भत्ते 8888 .....	1. श्रीमती रमाबाई सुनहरे, सहायक शिक्षिका, शासकीय कन्या प्राथमिक विद्यालय, क्रमांक-48 भागीरथपुरा, इंदौर।	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी इंदौर। 1712003043	2,76,612
V मतदेय 009 चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति			
कुल योग ( दो लाख छियत्तर हजार छः सौ बाहर रुपये मात्र )			कुल योग:- 2,76,612/-

उपरोक्त आवंटन निम्न शर्तों के अधीन स्वीकृत किया जाता है:-

1. प्रकरणों में भेजे गये पत्रों की छायाप्रति का मिलान मूल प्रतियों से आहरण संवितरण अधिकारी करें।
2. म.प्र सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम- 1958 के तद्विषयक प्रावधान एवं तत्संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का पालन सुनिश्चित करें।
3. मांग की गई राशि संबंधित कार्यालय की अनुशंसा के आधार पर जारी की जा रही है। यदि त्रुटिपूर्ण/नियम विरुद्ध भुगतान होता है, तो इसके लिए संबंधित कार्यालय पूर्णरूप से उत्तरदायी होगा।
4. राशि जिस अधिकारी/कर्मचारी हेतु स्वीकृत की जा रही है, उसका भुगतान उसी अधिकारी/कर्मचारी को किया जायेगा।

स्वीकृत राशि का व्यय दिनांक 31 मार्च 2019 तक भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें। संबंधित व्यय का विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र इस कार्यालय को प्रेषित करना अनिवार्य है। यदि किसी भी समय यह प्रतीत होता है कि उक्त राशि या उसके किसी अंश का व्यय दिनांक 31 मार्च 2019 के पूर्व किया जाना संभव नहीं है, तो उसे तत्काल समर्पित किया जाना सुनिश्चित करें, जिससे कि उक्त राशि का उपयोग विभाग द्वारा किया जा सके।

"आयुक्त द्वारा स्वीकृत"

(संजय कुमार)


संयुक्त संचालक (वित्त)  
लोक शिक्षण, म.प्र.।

1/2/1

भोपाल, दिनांक:- 19-6-2018

क्रमांक/बजट(बी)/19/4396/2018-19/115  
अतिलिपि:-

1. प्रधान महालेखाकार, ग्वालियर म.प्र.।
2. जिला कोषालय अधिकारी - इंदौर म.प्र.।
3. जिला शिक्षा अधिकारी - इंदौर म.प्र.।
4. सहायक संचालक (बजट) की ओर बजट फीड किए जाने हेतु।
5. संबंधित श्रीमती रमाबाई सुनहरे, सहायक शिक्षिका, शासकीय कन्या प्राथमिक विद्यालय, क्रमांक-48 भागीरथपुरा, इंदौर।

  
संयुक्त संचालक (वित्त)  
0/CR लोक शिक्षण, म.प्र.।

**संचालनालय लोक शिक्षण  
मध्यप्रदेश  
गौतम नगर, भोपाल**

क्रमांक/बजट (सी)3/चिकि.व्यय.प्रति./2018-19/118 प्रति.

भोपाल, दिनांक : 20.06.2018

विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी,

विकास खण्ड हटा, दमोह, जवरा (दमोह), सीहोर (सीहोर), सागर(सागर), जबलपुर (जबलपुर), महिदपुर(उज्जैन), विदिशा, बोसादा(विदिशा), फन्दा(भोपाल), परसिया(छिन्दवाड़ा), बेगमगंज, औबेदुल्लागंज (रायसेन), आरोन (गुना), नरसिंहगढ़ (राजगढ़), मझौली (सीधी), शिवपुरी (शिवपुरी), खण्डवा(खण्डवा), त्यौथर (शेवा), इन्दौर (इन्दौर) म.प्र.।

विषय : चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति मद 3491-11-009 में आबंटन स्वीकृति के संबंध में ।

—00—

वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति मद योजना 3491-11-009 अंतर्गत निम्नानुसार चिकित्सा प्रतिपूर्ति के प्रकरण में निम्नानुसार व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

बजट शीर्ष/मांग संख्या	आवेदक का नाम, पदनाम एवं पदस्थापना	आहरण संवितरण अधिकारी/डी.डी.ओ. कोड	स्वीकृत राशि
(1)	(2)	(3)	(4)
27 स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	01. श्री घनश्याम दास खरे, मृत्यु, शासकीय माध्यमिक बड़ा हटा जिला दमोह म.प्र.।	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड हटा 0802003032	31901+ 26754+ 19460 =78115
2202 सामान्य शिक्षा	02. श्री हुकुमसिंह विश्वकर्मा, सहायक शिक्षक, शा.प्रा.शा. मुस्करा, जिला सीहोर म.प्र.।	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड सीहोर 3502003002	55836
01 प्रारंभिक शिक्षा	03. श्री विजय जड़िया, शिक्षक, शा.मा.शा.गणेश मंदिर भगवानगंज जिला सागर म.प्र.।	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड सागर 3302003004	250000+ 52294 =302294
101 राजकीय प्राथमिक विद्यालय	04. श्री रविन्द्र कुमार तिवारी, प्रधानअध्यापक, शा.मा.शा. हाथीताल जबलपुर म.प्र.। (सी.एम.हेल्पलाईन 5925188)	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड जबलपुर 1802003068	240000
3491 माध्यमिक शालाये	05. स्व. अशोक कुमार गैर, शिक्षक, जिला उज्जैन म.प्र.।	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड महिदपुर 4342003048	14634+ 1032+ 14069 =29735
11 वेतन, भत्ते	06. श्री हरिलाल सोनिया, सहायक शिक्षक, जिला उज्जैन म.प्र.।	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड उज्जैन 4302003042	6400+ 194039 =200439
0101 -	07. श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, शिक्षक, उत्कृष्ट उमावि दमोह जिला दमोह म.प्र.।	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड दमोह 0802003002	44783
V मतदेय	08. श्री दीपक कुमार जैन, सहायक शिक्षक, मा.शा. धतुरिया जिला विदिशा म.प्र.।	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड विदिशा 4502003002	4490
009 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	09. श्री रमेश चन्द्र जैन, उच्च श्रेणी शिक्षक, शा.मा.शा. जवाहर बैरसिया जिला भोपाल म.प्र.।	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड बैरसिया 0502003002	12038
	10. श्रीमती मीरा लक्ष्मी, उच्च श्रेणी शिक्षक, शा.उमावि शाला कुण्डालीकला परसिया जिला छिन्दवाड़ा म.प्र.।	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड परसिया 0702003002	12038

// 02 //

बजट शीर्ष/मांग संख्या	आवेदक का नाम, पदनाम एवं पदस्थापना	आहरण संवितरण अधिकारी/डी.डी.ओ. कोड	स्वीकृत राशि
(1)	(2)	(3)	(4)
27 स्कूल शिक्षा (प्राथमिक शिक्षा) 2202 सामान्य शिक्षा 01 प्राथमिक शिक्षा 101 राजकीय प्राथमिक विद्यालय 3491 माध्यमिक शालाये 11 वेतन, भत्ते 0101 - V मतदेय 009 विकित्सा प्रतिपूर्ति	11. मो.मुश्ताक खान, सहायक शिक्षक, शा.भा.शा.बेगमगंज जिला रायसेन म.प्र.।	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड बेगमगंज 2902003008	25351
	12. श्री बुंदेलसिंह रघुवंशी, सहायक शिक्षक, शा.बा.मा.वि. आरोन जिला गुना म.प्र.।	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड आरोन 1302003011	21445
	13. श्रीमती सुनीता यादव, सहायक शिक्षक, शा.भा.शा. औबेदुल्लागंज जिला रायसेन म.प्र.।	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड औबेदुल्लागंज 2942003070	126160
	14. श्री मोताराम यादव, उच्च श्रेणी शिक्षक, विकास खण्ड नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ म.प्र.।	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड नरसिंहगढ़ 3002003013	99873
	15. श्रीमती फिलोमीना खेस्त, प्रधान अध्यापक, शासकीय ना. शा. नन्दपुरा जिला विदिशा म.प्र.।	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड बासोदा 4512003003	141568
	16. श्री धीरज कुमार नामदेव, उच्च श्रेणी शिक्षक, शा.उमावि मडवास जिला सीधी म.प्र.।	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड मझौली 4102003027	35048+ 20604 =55652
	17. श्री अनुज नामदेव, भृत्य, शा.उमावि मडवास जिला सीधी म.प्र.।	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड मझौली 4102003027	156086+9600 =165686
	18. श्रीमती सुधा सक्सेना, शिक्षक, शा.मा.वि.फिजिकल शिवपुरजिला शिवपुरम.प्र.।	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड शिवपुरी 3902003034	81988
	19. श्री प्रमोद पाल, सहायक शिक्षक, शा.बा.मा.शाला सिहाडा जिला खण्डवा म.प्र.।	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड खण्डवा 2102003002	16200
	20. बंशीलाल अहिरवार, प्रधान अध्यापक, शा.मा.शा.गंज संकुल केन्द्र फीगंज बासोदा जिला विदिशा म.प्र.।	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड बासोदा 4512003003	105835
	21. श्री रमेश कुमार शर्मा, प्रधान अध्यापक, शा.हाईस्कूल जमुई जिला सीवा म.प्र.। (सी.एम.हेल्पलाईन)	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड त्योधर 3242003061	43565
	22. श्रीमती उमा तिवारी, सहायक शिक्षक, शा.नवीन क मा.वि. रागबाग इन्दौर म.प्र.।	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड इन्दौर 1712003043	72382
	23. श्री कन्हैया लाल नायक, सहायक शिक्षक, प्राचार्य, उमावि नोहटा जिला इन्दौर म.प्र.।	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड जवरा 3002003042	95625
	(अक्षरी राशि रु.द्वारा)		रु.द्वारा हजार नो सौ मात्र)

उपरोक्त स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन स्वीकृत की जाती है :-

1. प्रकरणों में भेजे गये पत्रों की छायाप्रति का मिलान मूल प्रतियों से आहरण संवितरण अधिकारी करें।
2. म.प्र. सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम-1958 के तद्विषयक प्रावधान एवं तत्सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का पालन सुनिश्चित करें।
3. मांग की गई राशि संबंधित कार्यालय की अनुशंसा के आधार पर जारी की जा रही है। यदि त्रुटिपूर्ण/नियम विरुद्ध भुगतान होता है, तो इसके लिए संबंधित कार्यालय पूर्णरूप से उत्तरदायी होगा।
4. राशि जिस अधिकारी/कर्मचारी हेतु स्वीकृत की जा रही है, उसका भुगतान उसी अधिकारी/कर्मचारी को किया जायेगा।

स्वीकृत राशि का व्यय दिनांक 31 मार्च 2019 तक भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें। संबंधित व्यय का विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र इस कार्यालय को प्रेषित करना अनिवार्य है। यदि किसी भी समय यह प्रतीत होता है कि उक्त राशि या उसके किसी अंश का व्यय दिनांक 31 मार्च 2019 के पूर्व किया जाना संभव नहीं है, तो उसे तत्काल समर्पित किया जाना सुनिश्चित करें, जिससे कि उक्त राशि का उपयोग विभाग द्वारा किया जा सके।

"आयुक्त द्वारा स्वीकृत"

(संजय कुमार)

संयुक्त संचालक (वित्त)

लोक शिक्षण म.प्र.

भोपाल, दिनांक : 20.06.2018

पृष्ठा. क्रमांक/बजट (सी)3/चिकि.व्यय.प्रति./2018-19/119  
प्रतिलिपि :-

01. प्रधान महालेखाकार, ग्वालियर म.प्र.।
02. जिला कोषालय अधिकारी- दमोह, सीहोर, सागर, जबलपुर, उज्जैन, विदिशा, भोपाल, छिन्दवाड़ा, रायसेन, गुना, राजगढ़, सीधी, शिवपुरी, खण्डवा, रीवा, इन्दौर म.प्र.।
03. जिला शिक्षा अधिकारी जिला दमोह, सीहोर, सागर, जबलपुर, उज्जैन, विदिशा, भोपाल, छिन्दवाड़ा, रायसेन, गुना, राजगढ़, सीधी, शिवपुरी, खण्डवा, रीवा, इन्दौर म.प्र.।
04. सहायक संचालक (बजट) स्थानीय, लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र.।
05. श्रीमती भारती गैरा पत्नि स्व. अशोक गैरा, सहायक शिक्षक, प्राचार्य, शासकीय बालक उमावि महिदपुर जिला उज्जैन म.प्र.।
10. संबंधित समस्त कर्मचारियों को स.क्र. 5 को छोड़कर की ओर सूचनाओं का सहायक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संयुक्त संचालक (वित्त)

लोक शिक्षण म.प्र.

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

Main body of faint, illegible text, possibly a list or a series of entries.

Faint, illegible text at the bottom of the page, possibly a footer or a concluding statement.



लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश  
गौतम नगर, भोपाल

क्रमांक/बजट/डी/01/4396/2018-19/116  
प्रति,

भोपाल, दिनांक:- 20-6-2018

विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, साँची (रायसेन), सिलवानी, नीमच, छिंदवाड़ा फंदा (भोपाल),  
छैगांवमाखन (खंडवा), रीवा, लवकुशनगर (छतरपुर), कंटगी (बालाघाट), इंदौर, मुरार (ग्वालियर)

विषय:- चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति मद 4396-11-009 में आवंटन स्वीकृति के संबंध में।

—00—

वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति मद योजना 4396-11-009 अंतर्गत  
चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के प्रकरणों में निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

बजट शीर्ष / मांग संख्या	आवेदक का नाम, पदनाम एवं पदस्थापना	डीडीओ कोड क्रमांक एवं डीडीओ के नाम	स्वीकृत राशि
27 शिक्षा (प्रा. शिक्षा) 2202 सामान्य शिक्षा 01 प्रारंभिक शिक्षा 101 राजकीय प्रा. वि. 4396 सरकारी प्रा. विद्यालय 11 वेतन भत्ते 8888 .....	1. श्री महेश कुमार राठौर, सहायक शिक्षक, शासकीय प्राथमिक शाला पटेल नगर, रायसेन।	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी साँची जिला रायसेन। 2902003065	61,970/-
V 009 'चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	2. श्री पुष्पा श्रीवास्तव, सहायक शिक्षक, शासकीय बालक प्राथ. शा. क्र.2 सिलवानी, रायसेन।	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी सिलवानी जिला रायसेन। 295200306	2,20,252/-
	3. श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा, सहायक शिक्षक, प्राथमिक विद्या. नयाखेड़ा जिला नीमच।	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी नीमच। 2702003001	64,417/-
	4. श्री हरनारायण राय, सहायक शिक्षक, शासकीय प्राथमिक शाला मानेगांव, छिंदवाड़ा।	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, छिंदवाड़ा। 0702003002	1,32,940/-
	5. श्री कमलेश पारासर, सहायक शिक्षक, संकुल केंद्र शासकीय उमावि राजाभोज भोपाल।	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, फंदा जिला भोपाल। 0502003006	1,00,000/-
	6. श्री मनोज दुबे, सहायक शिक्षक, प्राथमिक शाला छैगांवदेवी जिला खंडवा।	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, छैगांवमाखन जिला खंडवा। 2102003003	1,30,000/-
	7. श्री उमेश कुमार तिवारी, सहायक शिक्षक, शासकीय प्राथमिक शाला छिरेहटा, जिला रीवा।	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, रीवा। 3002003071	4,00,000/-
	8. स्व. श्रीमती मंजूलता शर्मा, सहायक शिक्षिका, शासकीय प्राथमिक शाला, पिपलिया पेदेखां भोपाल।	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, फंदा जिला भोपाल। 0502003006	2,80,256/-
	9. श्री सिद्ध गोपाल त्रिपाठी, सहायक शिक्षक, प्राथमिक शाला क्र.-1 बारीगढ़ जिला छतरपुर।	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी लवकुशनगर जिला छतरपुर। 0602003019	50,000/-
	10. श्री मेघराज सरणागत, सहायक शिक्षक, शासकीय प्राथमिक बालक शाला सिरपुर, कंटगी जिला बालाघाट।	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कंटगी जिला बालाघाट। 122003048	1,58,750/-


11. श्रीमती सुलभा दीक्षित, सहायक शिक्षिका, शासकीय प्राथमिक विद्यालय, राहुलगांधीनगर इंदौर।	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी इंदौर। 1712003043	8,078+16,160 = 24238/-
12. श्री कुलदीप श्रीवास्तव, सहायक शिक्षक, शासकीय प्राथमिक विद्यालय, घोसीपुरा, जिला ग्वालियर।	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी मुंजर जिला ग्वालियर। 1402003026	1,49,112/-
13. स्व. श्रीमती पुष्पा मालवीय, सहायक शिक्षक, शासकीय माध्यमिक शाला चंद्रशेखर आजाद भोपाल।	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी फंदा जिला भोपाल। 0502003006	26050+9070 = 1,16,751/-
कुल योग ( अठारह लाख अठ्ठासी हजार छः सौ छियासी रूपये मात्र।)		कुल योग:- 18,88,686 /-

उपरोक्त आवंटन निम्न शर्तों के अधीन स्वीकृत किया जाता है:-

1. प्रकरणों में भेजे गये पत्रों की छायाप्रति का मिलान मूल प्रतियों से आहरण संवितरण अधिकारी करें।
2. म.प्र सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम- 1958 के तद्विषयक प्रावधान एवं तत्संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का पालन सुनिश्चित करें।
3. मांग की गई राशि संबंधित कार्यालय की अनुशंसा के आधार पर जारी की जा रही है। यदि त्रुटिपूर्ण/नियम विरुद्ध भुगतान होता है, तो इसके लिए संबंधित कार्यालय पूर्णरूप से उत्तरदायी होगा।
4. राशि जिस अधिकारी/कर्मचारी हेतु स्वीकृत की जा रही है, उसका भुगतान उसी अधिकारी/कर्मचारी को किया जायेगा।

स्वीकृत राशि का व्यय दिनांक 31 मार्च 2019 तक भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें। संबंधित व्यय का विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र इस कार्यालय को प्रेषित करना अनिवार्य है। यदि किसी भी समय यह प्रतीत होता है कि उक्त राशि या उसके किसी अंश का व्यय दिनांक 31 मार्च 2019 के पूर्व किया जाना संभव नहीं है, तो उसे तत्काल समर्पित किया जाना सुनिश्चित करें, जिससे कि उक्त राशि का उपयोग विभाग द्वारा किया जा सके।

“आयुक्त द्वारा स्वीकृत ”

  
(संजय कुमार)


संयुक्त संचालक (वित्त)  
लोक शिक्षण, म.प्र.।

भोपाल, दिनांक:- 20-6-18

क्रमांक/बजट/डी/01/4396/2018-19/117

प्रतिलिपि:-

1. प्रधान महालेखाकार, ग्वालियर म.प्र.।
2. जिला कोषालय अधिकारी - रायसेन, नीमच, छिंदवाड़ा, भोपाल, खंडवा, रीवा, छतरपुर, बालाघाट, इंदौर, ग्वालियर मध्यप्रदेश।
3. जिला शिक्षा अधिकारी - रायसेन, नीमच, छिंदवाड़ा, भोपाल, खंडवा, रीवा, छतरपुर, बालाघाट, इंदौर, ग्वालियर मध्यप्रदेश।
4. सहायक संचालक (बजट) की ओर बजट फीड किए जाने हेतु।
5. संबंधित कर्मचारीगण स.क्र.01 से 13 (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ।

  
संयुक्त संचालक (वित्त)  
लोक शिक्षण, म.प्र.।

लोक शिक्षण संचालनालय  
मध्यप्रदेश  
गौतम नगर, भोपाल

क्रमांक/बजट(ए)/18/2018-19/120  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 22.06.2018

विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी,  
विकास खण्ड बैतूल म.प्र.।

विषय : चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति मद 3930-11-009 में आबंटन स्वीकृति के संबंध में ।

-----00-----

वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति मद योजना 3930-11-009 अंतर्गत निम्नानुसार चिकित्सा प्रतिपूर्ति के प्रकरण में निम्नानुसार व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

बजट शीर्ष/मांग संख्या	आवेदक का नाम, पदनाम एवं पदस्थापना	डीडीओ कोड क्रमांक एवं डीडीओ का नाम	स्वीकृत राशि
(1)	(2)	(3)	(4)
27 स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा) 2202 सामान्य शिक्षा 01 प्रारंभिक शिक्षा 001 निदेशन और प्रशासन 3930 विकासखण्ड स्तर कार्यालय की स्थापना- मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए 11 वेतन, भत्ते 8888 - V मतदेय 009 चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	श्री अशोक कुमार मानेकर, सहायक शिक्षक, शासकीय माध्यमिक शाला, सेलगाँव, जिला बैतूल।	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी विकास खण्ड बैतूल 0302003002	1,89,098
(अक्षरी राशि ₹ एक लाख नवासी हजार अनठानवे मात्र)			₹1,89,098/-

उपरोक्त स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन स्वीकृत की जाती है :-

1. मांग पत्रों में संलग्न किये अभिलेखों की मूल प्रति से मिलान उपरान्त राशि आहरण की कार्यवाही की जावेगी।
2. म.प्र. सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम-1958 के तद्विषयक प्रावधान एवं तत्सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का पालन सुनिश्चित करें।
3. यदि सम्बन्धित को चिकित्सा अग्रिम स्वीकृत किया गया है तो समायोजन कर भुगतान किया जावे।
4. राशि जिस अधिकारी/कर्मचारी हेतु स्वीकृत की जा रही है, उसका भुगतान उसी अधिकारी/कर्मचारी को किया जायेगा।
5. आवंटित राशि का आहरण अविलम्ब किया जावे।
6. मांग की गई राशि संबंधित कार्यालय की अनुशंसा के आधार पर जारी की जा रही है। यदि त्रुटिपूर्ण/नियम विरुद्ध भुगतान होता है, तो इसके लिए संबंधित कार्यालय पूर्णरूप से उत्तरदायी होगा।

//02//

स्वीकृत राशि का व्यय दिनांक 31 मार्च 2019 तक भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें। संबंधित व्यय का विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र इस कार्यालय को प्रेषित करना अनिवार्य है। यदि किसी भी समय यह प्रतीत होता है कि उक्त राशि या उसके किसी अंश का व्यय दिनांक 31 मार्च 2019 के पूर्व किया जाना संभव नहीं है, तो उसे तत्काल समर्पित किया जाना सुनिश्चित करें, जिससे कि उक्त राशि का उपयोग विभाग द्वारा किया जा सके।

"आयुक्त द्वारा स्वीकृत"

(संजय कुमार)

संयुक्त संचालक (वित्त)  
लोक शिक्षण म.प्र.  
भोपाल, दिनांक 22.06.2018

पृष्ठा. क्रमांक/ बजट(ए)/18/2018-19/121

प्रतिलिपि :-

1. प्रधान महालेखाकार, ग्वालियर म.प्र.।
  2. जिला कोषालय अधिकारी- बैतूल म.प्र.।
  3. सहायक संचालक (बजट) स्थानीय, लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र.।
  4. जिला शिक्षा अधिकारी जिला बैतूल म.प्र.।
  5. श्री अशोक कुमार मानेकर, सहायक शिक्षक, शासकीय माध्यमिक शाला, सेलगाँव, जिला बैतूल म.प्र.।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संयुक्त संचालक (वित्त)  
लोक शिक्षण म.प्र.